

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्यें राज0 जयपुर  
क्रमांक - ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/ दिनांक :

आदेश

श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैतारण, पाली जिनकी जन्म तिथि 29.02.1964 है, की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 14.01.2015 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 14.01.2015 से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/1420  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को उनके पत्र क्रमांक 854-55 दिनांक 27.05.2019 के क्रम में।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैतारण, पाली।
4. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. स्व0 श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ सहायक के परिवारजन को द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैतारण, पाली।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें  
राजस्थान, जयपुर